

10/1/08


न्यायालय में - राजस्व मंडल ग्वालियर म 090

कायालय कलेक्टर शहडोल

7 JAN 2008

गास्त्रा R-Call

अधीनस्थ



श्रीमती हिरादिया बाई पत्नी स्व० सीताराम

2- जगदीश प्रसाद पिता स्व० सीताराम

R-40-I/08

3- शंभू प्रसाद पिता स्व० सीताराम

4- उर्मिला


5- गीता पुत्री सीताराम

6- कृष्णा

सभी निवासी ग्राम खैरा तहसील सोहागपुर जिला  
शहडोल म०प्र०----- आवेक्ष गण

बनाम

अयोध्या प्रसाद पिता राम सुंदर निवासी ग्राम खैरा तहसील  
सोहागपुर जिला शहडोल म०प्र०----- अनावेक्ष



RECEIVED

क्रमांक 86  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 14-1-08 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल न.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय एडिशनल कमिश्नर  
रीवा संभाग रीवा म०प्र० प्र० क्रं० 96/अपील/  
94-95 आदेश दिनांक 1.6.07

मान्यवर,

आवेक्ष गण निम्नलिखित कारणों से निगरानी पेश कर  
प्रार्थी है-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय अति० आयुक्त रीवा  
संभाग रीवा का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन गलत है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय अति० आयुक्त रीवा  
संभाग रीवा ने आवेक्ष गणों के पति/ पिता स्व० सीताराम के विरुद्ध  
बिना अपी० /आवेक्ष गण की पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया  
है जो स्वभाव प्रभावशून्य हैकि क्योंकि प्रकरण में सीताराम का स्वर्गवास  
दिनांक 22.5.97 को हो गया था बिना सीताराम के वारिसों के

अधीनस्थ  
कलेक्टर, शहडोल

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
26-7-16	<p>आवेदक श्री मुकुंश                      भागवत उपस्थित / जनावेदक उपस्थित                      गयी / आवेदक अभिभाषक द्वारा                      अपने ताल से अफगान कराया कि                      अफगान शीवा संभाग शीवा                      द्वारा अनांक हल होने पर सुतक                      के कारिसों को रिपोर्ट पर लिये                      बिना पुकरण का निराकरण किया                      है / ग्राम पंचायत का मूल्य प्रमाण पत्र                      की काया प्रति भी प्रस्तुत की है /                      अतः सुतक के विरुद्ध किया                      गया फैसला सुन्यपत है / न्याय के                      विरुद्ध है / मान्य गयी किया जा                      सकता है / विवायनी खारिज की                      जाती है / अफगान को इस                      निर्देश के साथ प्रत्यापित किया                      जाता है कि कारिसों को रिपोर्ट                      पर लेकर सुबवाइ का समुचित                      अवसर देकर निराकरण करे</p>	<p>शहडोल</p>

✓

शहडोल